



तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहकाम  
हुकम की  
में जारी

अभिनिषेध के प्रावधानों के विरुद्ध है।  
 रवातदार द्वारा कानूनकारी शर्तों को इस्तेमाल  
 किया गया है। उक्त आधार पर प्रार्थी  
 तहसीलदार द्वारा सनगत आराखी को  
 सिवाचरु कोषित किया जाकर कवलात  
 किए जाने हेतु निवेदन किया गया है।  
 तहसीलदार लासपुरा द्वारा आग 199 की  
 कार्यवाही हेतु जारी टारिखीनक लूपना  
 पंखन की गई है जिसे गौर के टारिखीनक  
 स्थानों पर चहपा किया गया है।  
 बावजूद टारिखीनक लूपना रवातदार  
 उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी तहसीलदार  
 लासपुरा द्वारा रिपोर्ट परवानी की सलुत  
 की गई है, रिपोर्ट परवानी अनुसार सनगत  
 शकलान. पर विगत 40 वर्षों से प्रथम  
 आबादी बली हुई है तथा रवातदार व  
 इत्ये वटीत्रान के बारे में कोई  
 जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कार्य पृगावली में संलग्न इत्यादि में संशोधित

क्रमांक: राजस

होता है कि -

\* ग्राम मानसगांव की आराली र. नं. ५७५ रकबा ०.९१ एफ शंकरलाल / मैथिलीलाल ज्ञाती महात्मन सा. इट के नाम दर्ज रिपोर्ट है।

\* उक्त आराली पर विगत ५० ल अंधक बंधों संलग्न आबादी वसी हुई है।

\* रवातेडार शंकरलाल व इत्यक वसीखान के बाटे में ग्राम में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

\* चारा १७७ की कार्यवाही की स्थाविक सूचना उपरान्त भी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

\* उक्त परिस्थितियों में हम ज्ञाती तहसीलदार बादगुटा द्वारा प्रस्तुत शर्चनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

\* अतः तहसीलदार बादगुटा द्वारा प्रस्तुत शर्चनापत्र अन्तर्गत चारा १७७ RTA-१९५५ स्वीकार किया

जाकर ग्राम मानसगांव की आराली रकबा नं. ५७५ रकबा ०.९१ एफ पर अनुपस्थित रवातेडार

शंकर लाल का नाम विलीपित करने हुए।

परबन्ध अधिकारी  
कोटा

राजस्थान (1)

कार्यालय तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (राज0) 24/9/24

1483

RTA-1955 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के एग्रीगेशन एवं सुमि को बालकीय निवायक के दली फटने के आत्रका स्थान किफ लावे है।

निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार लाडपुरा को भिजित की जावे।

पत्रावली के मल क्रमांक दोसठ दार्जित दफ्तरे है।



6/3/26  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटा